भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 486
04 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सौंदर्य प्रसाधनों में खनिज तेल के सुरक्षा खतरे

486. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सौंदर्य प्रसाधनों और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों में खनिज तेल के उपयोग के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी खतरों को उजागर करने वाले विभिन्न अध्ययनों पर ध्यान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खनिज तेल, जो कच्चे तेल का औद्योगिक रूप से उत्पादित व्युत्पन्न है, का मनमाने ढंग से केश तेल सहित विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कच्चे तेल में कई विषाक्त पदार्थ और कैंसरकारी पदार्थ होते हैं और दोषपूर्ण तरीके से निर्मित खनिज तेलों में इनमें से कुछ विषाक्त पदार्थ मौजूद हो सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मिलावटी खनिज तेल के उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार विनिर्माताओं के लिए अपने उत्पादों पर खनिज तेलों के हानिकारक प्रभावों का लिखित और/या चित्रों का उपयोग करते हुए जानकारी देने वाले स्वास्थ्य चेतावनी लेबल मुद्रित किए जाने को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): सौंदर्य प्रसाधन सामग्री संबंधी उत्पादों के आयात, विनिर्माण, बिक्री और वितरण को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और सौंदर्य प्रसाधन नियमावली, 2020 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।

देश में तब तक किसी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री आयात अथवा विनिर्माण नहीं किया जाएगा जब तक ये नौवीं अनुसूची, सौंदर्य प्रसाधन नियमावली, 2020 के अंतर्गत निर्धारित मानकों अथवा इनके लिए उपयुक्त अन्य

कोई गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों और इन नियमों के तहत अन्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते। तैयार रूप में सौंदर्य प्रसाधन सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई भारतीय मानक विशिष्टताओं के अनुरूप होगी।

बीआईएस ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानक गुणवत्ता वाले प्रसाधन उत्पादों का विनिर्माण/आयात देश में किया जाए और भारतीय मानक आईएस: 4707 भाग-2 के अनुलग्न-क (वे सामग्री जिन्हें प्रसाधन उत्पादों के निर्माण का भाग नहीं बनाना चाहिए) में विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (कच्ची सामग्रियों की सूची को सामान्यत: सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में उपयोग हेतु सुरक्षित नहीं माना जाता) को देश में विनिर्मित अथवा आयात किए जाने वाले प्रसाधन उत्पादों में शामिल नहीं किया जाए। भारतीय मानक 7299 (1974): सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के लिए खनिज तेल हेतु विशिष्टता, भारतीय मानक 4011 (2018): सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की सुरक्षा मूल्यांकन हेतु जांच की पद्धति तथा भारतीय मानक 7123 (1993): हेयर ऑयल के लिए विशिष्टताएं निर्धारित की हैं ।

सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के विनिर्माण के लिए लाइसेंस संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए राज्य स्तरीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एसएलए) द्वारा प्रदान किया जाता है। किसी उल्लंघन के मामले में एसएलए को औषधि और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान के तहत कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

लाइसेंस की एक शर्त यह है कि विनिर्माता अथवा लाइसेंसधारक को विनिर्मित प्रसाधन सामग्री तथा ऐसी प्रसाधन सामग्री के विनिर्माण में उपयोग की गई कच्ची सामग्री की जांच के लिए पर्याप्त कर्मचारी, स्थान तथा प्रयोगशाला संबंधी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और अनुरक्षित किए जाएंगे।

नियमानुसार विनिर्माताओं को सातवीं अनुसूची में निर्धारित अच्छी विनिर्माण पद्धतियों तथा सौंदर्य प्रसाधन नियमावली 2020 की ग्यारहवीं अनुसूची में निर्धारित अच्छी प्रयोगशाला पद्धतियों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

****